**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1119**

**19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम**

**लिमिटेड द्वारा बुलियन पार्टियों की बकाया**

**राशि को जारी किया जाना**

**1119. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) ने भ्रष्ट और साफ सुथरी छवि वाली बुलियन पार्टियों को उनकी वैध बकाया राशि जारी करने के प्रयोजन से उनके मामलों को एक साथ जोड़ दिया है, और सह संबंधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी जांचकर्ता अभिकरण ने एचएचईसी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की उन इकाइयों को भुगतान बंद करने, का अनुरोध किया है, जिनके विरुद्ध अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, नहीं। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल) के बुलियन आयात संबंधी मामले की जांच कर रहा है और सीबीआई ने क्रेताओं के ऋण के अंतरण के संबंध में एचएचईसी से जानकारी मांगी है। एचएचईसी द्वारा जिन बुलियन पार्टियों का भुगतान रोका गया है उन्‍होंने उस करार के अनुसार आयात की प्रक्रिया का पालन किया है जो ईसीएल तथा एचएचईसी के मध्‍य हस्‍ताक्षरित करार के अनुरूप है और इस समझौते की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

**(ग) और (घ):** रिकॉर्ड के अनुसार एचएचईसी से संबद्ध कोई भी बुलियन पार्टी एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। एचएचईसी को किसी भी जांच एजेंसी से एमएसएमई का भुगतान रोकने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्‍त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*